न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 72/2017 **दायरा दिनांक : 16.06.2017**

उनवान

1– हीरालाल आत्मज भवाना, जाति मेहर, निवासी गोरियाखेड़ा पोद्धार, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– आसा आत्मज भवाना, जाति मेहर, निवासी गोरियाखेड़ा पोद्धार, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– ग्यारसी बाई पुत्री देवा, जाति मेहर, निवासी गोरियाखेड़ा पोद्धार, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– रामप्रसाद आत्मज छीतर माता दल्लू, जाति मेहर, निवासी मोई, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

3– खेमराज वल्द छीतर माता दल्लू, जाति मेहर, निवासी मोई, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

4– कमला पुत्री छीतर माता दल्लू पत्नी शिवप्रसाद, जाति मेहर, निवासी कालीपीठ, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

5– मांगी लाल वल्द देवलाल, माता कानू बाई, जाति मेहर, निवासी सीरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– गुलाब बाई पुत्री देवलाल, माता कानू बाई पत्नी भंवरलाल, जाति मेहर, निवासी बनेठ, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

7– सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा आंवलहेड़ा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ जर्ये शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा आंवलहेड़ा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपस्थित – श्री अमर सिंह लववंशी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्याम सुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : **06.04.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 1420/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत केम्प कामखेड़ा में पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं पत्र संग्रहसार के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड का व महत्वपूर्ण दस्तावेज का अवलोकन किये बगैर तथा पक्षकारों को सुने बगैर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्याालय में विचाराधीन वाद में प्रतिपीड़ित पक्षकारान को किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गई और एक तरफा निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में प्रतिवादीगण से कोई जवाबदेही नहीं ली गई और न ही तनकीयात कायम की गई और न ही वादी व प्रतिवादीगण के बयान लिखित में लेखबद्ध किये गये । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादिया अपने ससुराल में रहती है और आज दिन तक उसने कोई काश्त नहीं की । वादिया के पिता द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी अपने बड़े परिवारजन प्रतिवादीगण को संभला दी थी तथा मौखिक बेचान कर दी थी तब से प्रतिवादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.05.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाकर एक पक्षीय निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमारी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया हमारी कोई सहमति नहीं ली और अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में न तो हमारे हस्ताक्षर है । अधीनस्थ न्यायालय में विक्रय पत्र पेश नहीं किया । हीरा लाल मांगी लाल का भाई है । भंवर लाल लाऔलाद फौत हो गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 13.04.2016 को प्रतिवादी नम्बर 6 और 9 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश हैं । प्रतिवादीगण 1 लगायत 5, 7 व 8 की तामील नहीं हुई है जिनका पुनः तलबाना पेश करने का आदेश है । इसमें अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 में अपीलांट नम्बर 1 व 2 भी शामिल है । इसके पश्चात् आदेशिका में दिनांक 21.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत ग्राम पंचायत मनपसर में पेश होने व पक्षकारों के नहीं आने से पत्रावली का निस्तारण नहीं होना अंकित किया गया है । आदेशिका में दिनांक 15.07.2016 को पत्रावली लोक अदालत केम्प, कामखेड़ा में पेश होने व पक्षकारों के उपस्थित होना बताया गया है तथा वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1, रेस्पोडेंट संख्या 5/प्रतिवादी संख्या 6 एवं प्रतिवादी संख्या 7/रेस्पोडेंट संख्या 6 के हस्ताक्षर हैं जबकि अन्य प्रतिवादीगणों के हस्ताक्षर नहीं हैं जिसमें अपीलांट संख्या 1 एवं 2 शामिल हैं। अतः सभी पक्षकारों की उपस्थिति बताया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट संख्या 1 व 2 को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई एवं

(महेश लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, जो सी. पी. सी. के प्रावधानों के विपरीत है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.07.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा